नमस्ते योजना

सन्दर्भ: इस लेख का उल्लेख पीआईबी वेबसाइट पर किया गया है।

- नमस्ते का मतलब मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है, साथ ही उन्हें स्थायी आजीविका भी प्रदान करना है।
- यह पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) का एक संयुक्त प्रयास है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम (NSKFDC) NAMASTE योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- यह पहल पांच सौ शहरों को कवर करेगी, जो अमृत शहरों के साथ संरेखित होंगे।
- नमस्ते योजना की कार्यान्वयन अवधि 2022 से 2026 तक है।

नमस्ते योजना के घटक

- **एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग:**
  - नमस्ते का उद्देश्य सीवर/सेप्टिक टैंक वर्कर्स (SSW) की प्रोफाइल तैयार करना है।
  - एसएसडब्ल्यू की सूची प्रासंगिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) से ली गई है।
  - समर्पित शिविरों के माध्यम से विस्तृत प्रोफाइलिंग की गई।
- **व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और पीपीई वितरण:**
  - सभी एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट वितरित करना।
- **एसआरयू के लिए सुरक्षा उपकरण:**
  - सुरक्षा उपकरणों के साथ स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (एसआरयू) की सहायता करना।
  - खतरनाक सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षा बढ़ाना।
- **स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ का विस्तार:**
  - एसएसडब्ल्यू और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार।
  - नमस्ते, पहले से कवर न किए गए मैनुअल मैला ढोने वालों और एसएसडब्ल्यू परिवारों के लिए एबी-पीएमजेएवाई प्रीमियम को कवर करता है।
- **आजीविका सहायता:**
  - मशीनीकरण एवं उद्यम विकास को बढ़ावा देना।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरण/वाहन खरीद का समर्थन करते हुए "**सैनिप्रेन्योर**" को बढ़ावा दे रहा है।
  - चिन्हित सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों की स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी जारी रहेगी।
  - चिन्हित सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए मासिक वजीफे के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण।
- **MoSJE और MoHUA कार्यक्रमों का अभिसरण:**
  - SSW की सुरक्षा MoSJE और MoHUA की संयुक्त जिम्मेदारी है।
  - नमस्ते का उद्देश्य दोनों मंत्रालयों के बीच अभिसरण को मजबूत करना है।
  - व्यापक सुरक्षा उपायों के लिए एसआरएमएस, एसबीएम, डीएवाई-एनयूएलएम और एनएसकेएफडीसी से मौजूदा आवंटन का लाभ उठाना।
- **आईईसी अभियान:**
  - यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा सहयोगात्मक जागरूकता अभियान।
  - इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और स्थानीय भाषाओं, अंग्रेजी और हिंदी में प्रमुख होर्डिंग्स का उपयोग करना।
  - व्यापक पहुंच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग।
- **एमआईएस और वेबसाइट कार्यान्वयन:**
  - मजबूत निगरानी एवं सूचना प्रणाली (एमआईएस) लागू की गई।
  - नमस्ते पहल की प्रभावी निगरानी के लिए समर्पित वेबसाइट स्थापित की गई।

गन जंपिंग

सन्दर्भ: "**गन जंपिंग**" उल्लंघन के कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्लेटिनम ट्रस्ट पर जुर्माना लगाया गया है।

- प्रतिस्पर्धा और विलय नियंत्रण के संदर्भ में गन जंपिंग उन मामलों से संबंधित है जहां एम एंड ए सौदे में भागीदार सीसीआई जैसे संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिकारियों को सूचित किए बिना लेनदेन को अंतिम रूप देते हैं।

- विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के माध्यम से कंपनियों का संयोजन शामिल है।
- भारत सहित कई प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाओं के लिए सीसीआई जैसी संस्थाओं को पूर्व-विलय अधिसूचना की आवश्यकता होती है।
- जांच के दौरान, सीसीआई को उम्मीद है कि ठहराव अवधि समाप्त होने तक पार्टियां विलय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी।
- हालाँकि 'गन जंपिंग' शब्द की प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसमें आसन्न लेनदेन के बारे में सीसीआई को सूचित करने वाली कुछ मौद्रिक सीमाओं को पूरा करने वाले पक्ष शामिल हैं।
- स्टैंडस्टिल प्रावधान के लिए पार्टियों को इसका पालन करना होगा, जिससे उन्हें अधिसूचना की तारीख से 210 दिनों तक या सीसीआई अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, इंतजार करना होगा।
- गतिरोध की पूरी अवधि के दौरान, पार्टियों को अपने व्यवसायों को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में संचालित करना जारी रखना चाहिए।
- "गन जंपिंग" उन उदाहरणों को संदर्भित करता है जहां पार्टियां या तो सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सीसीआई को सूचित करने की उपेक्षा करती हैं या स्टैंडस्टिल दायित्वों का उल्लंघन करती हैं।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 43ए के तहत गन जंपिंग के मामलों को दंडित करने का अधिकार है।
- गन जंपिंग के लिए जुर्माना कुल कारोबार का 1% या संयुक्त संस्थाओं की संपत्ति का 1% तक पहुंच सकता है, जो इस पर निर्भर करता है कि कौन अधिक है।
- गन जंपिंग दो रूपों में प्रकट हो सकती है: प्रक्रियात्मक गन जंपिंग (सूचित करने में विफलता) और मूल गन जंपिंग।

संविधान का अनुच्छेद 356 और आईपीसी की धारा 124

सन्दर्भ: एक हालिया विवाद के कारण पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है यदि उत्तर नहीं दिया जाता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को "**संवैधानिक तंत्र की विफलता**" के बारे में सूचित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 356 क्या है?

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में "राष्ट्रपति शासन" लगाने से संबंधित है, जो संवैधानिक तंत्र में खराबी की स्थिति में निर्वाचित सरकार को हटाने में सक्षम बनाता है।
- संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है या नहीं इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट या स्वत: संज्ञान के आधार पर किया जा सकता है।
- **आधार**: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य से कार्यकारी और विधायी शक्तियां वापस लेने का अधिकार देता है यदि सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है।
- **अवधि:** राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में एक बार में छह महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। हर छह महीने में नवीनीकृत संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **उत्पत्ति:** अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 से प्रेरणा लेता है, जिसमें भिन्नता है कि यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के पास है। इस प्रावधान ने अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ने पर अंतिम अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी, जिससे "**नियंत्रित लोकतंत्र**" का निर्माण हुआ।

सुरक्षा

- 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (एस.आर. बोम्मई केस) ने इस परंपरा को पलट दिया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग अदालती समीक्षा से प्रतिरक्षित है, यह सिद्धांत 1977 के राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ मामले में स्थापित किया गया था।
- बोम्मई मामले के फैसले ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की शर्तों और संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित किया।
- एस.आर. में बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ ने अनुच्छेद 356 के दायरे को स्पष्ट किया, जो सख्त शर्तों के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
- इन शर्तों में राज्य शासन में बाधा डालने वाली वस्तुनिष्ठ स्थितियों की उपस्थिति की पुष्टि करना शामिल है जहां उद्घोषणा की जाती है।
- इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा के लिए खोलने से पहले संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता थी।

आपातकालीन प्रावधान

- संविधान का भाग XVIII आपातकालीन प्रावधानों पर केंद्रित है।
- ये प्रावधान तीन समूहों में आते हैं:
    - अनुच्छेद 352, 353, 354, 358, और 359 राष्ट्रीय आपात स्थितियों को संबोधित करते हैं।
    - अनुच्छेद 355, 356 और 357 विशिष्ट राज्य स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित हैं।
    - अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थितियों पर चर्चा करता है।

IPC धारा 124

- आईपीसी अध्याय VII, धारा 124 वैध शक्तियों को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के निरोध या उन्हें रोकने से संबंधित है।
- इस अपराध में राष्ट्रपति/राज्यपाल को वैध शक्तियों का प्रयोग करने या उनसे परहेज करने के लिए प्रेरित करना या मजबूर करना शामिल है।
- कवर की गई कार्रवाइयों में हमला, गलत तरीके से रोकना, या डराने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने का प्रयास शामिल है।
- जुर्माने के साथ सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
- सीआरपीसी के तहत वर्गीकरण: गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध।
- सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, जमानत स्वत: नहीं।
- कंपाउंडिंग के लिए सीआरपीसी की धारा 320 के तहत सूचीबद्ध नहीं है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

26 August, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारतीय मोर

वैज्ञानिक नाम: पावो क्रिस्टेटस
राष्ट्रीय पक्षी: भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
बढ़ती आबादी: भारतीय मोर की आबादी तेजी से बढ़ रही है।
सीमा का विस्तार: यह नए आवासों में विस्तार कर रहा है जहां यह पहले नहीं पाया जाता था।
पर्यावास: यह जंगलों, घास के मैदानों और खेती वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है।
उच्च हिमालय और पश्चिमी घाट: इस प्रजाति ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के वर्षावनों में अपनी सीमा का विस्तार किया है।
जनसंख्या घनत्व: मोर का जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में बढ़ रहा है जहां यह पहले पाया जाता था।
केरल उदाहरण: यह अब केरल के हर जिले में देखा जा सकता है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां यह कभी बेहद दुर्लभ था।
सीमा विस्तार: नए आवासों में इसका विस्तार इसकी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रतीक है।
संरक्षण की सफलता: भारतीय मोर की बढ़ती आबादी संरक्षण सफलताओं को दर्शाती है।
पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका: कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में भूमिका निभाता है।
IUCN स्थिति: "कम से कम चिंता"(Least Concern)

उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली

उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली क्या है?
उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली (एएलपीएस) एक परिष्कृत जल उपचार प्रणाली है जिसका उपयोग फुकुशिमा की परमाणु आपदा सफाई के संदर्भ में किया जा रहा है।
उद्देश्य: फुकुशिमा आपदा के बाद रेडियोधर्मी-दूषित पानी का उपचार करना।
कार्यक्षमता:

- **पृथक्करण:** यह सीज़ियम, स्ट्रोंटियम, कोबाल्ट और अन्य रेडियोधर्मी तत्वों को हटा देता है।
- **मल्टी-स्टेज**: इसके लक्षित निष्कासन के लिए विभिन्न चरण हैं।
- **घटक:** आयन विनिमय, जमावट-निस्पंदन, सोखना, झिल्ली निस्पंदन।
- **परिणाम:** यह ट्रिटियम को छोड़कर, रेडियोधर्मी स्तर को काफी कम कर देता है।

फुकुशिमा सफाई में भूमिका:

- यह एएलपीएस फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में दूषित पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- यह रेडियोधर्मी पानी के निकलने से जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

पर्यावरणीय चिंताएँ: ट्रिटियम की उपस्थिति समुद्री और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पर बहस को प्रेरित करती है।
IAEA मूल्यांकन: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ALPS प्रभावशीलता और सुरक्षा का आकलन करती है।

वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए 7वीं जीईएफ असेंबली में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (जीबीएफएफ) को मंजूरी दी गई थी।
वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड क्या है?
ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (जीबीएफएफ) एक वित्तीय तंत्र है जिसे सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र से योगदान इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया है।
उद्देश्य: 2030 तक जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन जुटाना।
योगदानकर्ता: योगदान के लिए सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र के लिए खुला है।
दाता और योगदान:

- **कनाडा और यूके पहले ही दान कर चुके हैं:** 200 मिलियन कनाडाई डॉलर और 10 मिलियन पाउंड।
- फंड को संचालित करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- यह 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने की कार्रवाइयों का समर्थन करता है।
- इसका 2050 तक प्रकृति का संतुलन बहाल करने का लक्ष्य है ।
- यह स्वदेशी नेतृत्व वाली पहलों (20% निधि) को प्राथमिकता देता है।
- यह छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, सबसे कम विकसित देशों का समर्थन करता है।

जीबीएफ-19 का लक्ष्य: 2030 तक सालाना कम से कम 200 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य।
कार्यान्वयन समयरेखा:

- **जीईएफ परिषद का निर्णय:** दिसंबर 2023 तक 3 दानदाताओं से प्रारंभिक योगदान 200 मिलियन डॉलर तक पहुंचना।
- जीबीएफएफ परिषद की पहली बैठक जनवरी 2024 में।
- जून 2024 में नियोजित कार्य कार्यक्रम का अनुमोदन।

'माई स्टैम्प'

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती. द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 को दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।
'माई स्टैम्प' क्या है?
"माई स्टैम्प" पहल संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग का एक अनूठा कार्यक्रम है।
संकल्पना: यह डाक विभाग की पहल वैयक्तिकृत डाक टिकटों की अनुमति देती है।
अनुकूलन: व्यक्ति टिकटों के लिए चित्र और थीम चुन सकते हैं।
उपयोग: नियमित डाक आवश्यकताओं के लिए या स्मारक टिकटों के रूप में उपयोग योग्य।
महत्व: व्यक्तिगत संपर्क और डाक सेवाओं के साथ जुड़ाव बढ़ाता है।
उदाहरण: मार्क के जन्मदिन, घटनाएँ, व्यक्तित्व और ऐतिहासिक स्थल।

प्रमोशन: रचनात्मकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

दादी प्रकाशमणि के बारे में:

- दादी प्रकाशमणि एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्माकुमारी की पूर्व प्रमुख थीं।
- उन्होंने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारत और विदेशों में भारतीय मूल्यों और संस्कृति को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उनके नेतृत्व में, ब्रह्माकुमारी दुनिया के सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठन के रूप में विकसित हुआ।

टेली-लॉ 2.0

टेली-लॉ 2.0 क्या है?

टेली-लॉ 2.0 न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए टेली-लॉ कार्यक्रम के एक विकसित संस्करण को संदर्भित करता है।

पहल का शुभारंभ:

- दिशा योजना के हिस्से के रूप में कानून मंत्री द्वारा टेली-लॉ 2.0 का अनावरण किया गया।
- यह डिजिटल रूप से वितरित नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं में एक नए युग का प्रतीक है।

एकीकरण और विलय:

- टेली-लॉ सर्विसेज का न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवाओं में विलय हो गया।
- इसका उद्देश्य कानूनी सहायता तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाना है।

प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- तकनीकी प्रगति के साथ न्याय वितरण को संरेखित करने पर जोर।
- डिजिटल साक्षरता और जनता का सशक्तिकरण।

प्रो बोनो सेवाएँ:

- निःशुल्क सेवाओं में योगदान के लिए कानूनी पेशेवरों को बुलाएँ।
- सभी नागरिकों के लिए आवश्यक कानूनी सहायता सुनिश्चित करना।

भविष्य के विस्तार:

- सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सभी 2.65 लाख ग्राम पंचायतों तक टेली-लॉ सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
- **लक्ष्य:** 2026 तक एक करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच बनाना।

महत्व:

- कानूनी सेवाओं में प्रौद्योगिकी और नागरिकों के बीच अंतर को कम करना ।
- जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच प्राप्त करना।

समाचारों में स्थान

एथेंस

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री (नरेंद्र मोदी) ने ग्रीक पीएम क्यारीकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर एथेंस की यात्रा की ।

स्थान: ग्रीस की राजधानी, ग्रीक मुख्य भूमि के दक्षिणी भाग में स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ:

- ग्रीस दक्षिणपूर्वी यूरोप में स्थित है।
- अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है।

भौतिक विशेषताऐं:

एजियन सागर: एथेंस के पूर्व में स्थित है, जो भूमध्य सागर का हिस्सा है।

पीरियस: सारोनिक खाड़ी पर एथेंस के पास प्रमुख बंदरगाह शहर।

हाइमेटस पर्वत: एथेंस के पूर्व में।

एक्रोपोलिस हिल: ऐतिहासिक स्थलों के साथ शहर का प्रमुख ऊंचा क्षेत्र।

सारोनिक खाड़ी द्वीप समूह: एथेंस के निकट खाड़ी में द्वीपों का एक समूह।

स्थलचिह्न:

- **एक्रोपोलिस:** पार्थेनन मंदिर के साथ प्राचीन गढ़।

POINTS TO PONDER

- **चंद्रयान-3 ने दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने का विकल्प क्यों चुना**? - स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए
- **ग्रीक सरकार से 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' किसे प्राप्त हुआ**? - नरेंद्र मोदी
- **रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) क्या है** - मछली पालन के लिए जल पुनर्चक्रण तकनीक
- **हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस अनियमित आकाशगंगा की छवि खींची**? - ईएसओ 300-16
- **कौन सा मील का पत्थर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है और केप हॉर्न से बचता है**? - पनामा नहर